रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072023-247241
CG-DL-E-12072023-247241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2023/आषाढ़ 21, 1945
No. 400] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2023/ASHADHA 21, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 499(अ).—केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा फसल-अवशेषों के उपयोग को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ. –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (तापीय विद्युत संयंत्रों द्वारा फसल अवशेषों का उपयोग) नियम, 2023 है।

(2) ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 2 की उपधारा (1) के क्रमशः खंड (च) और खंड (क) में यथा परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. फसल अवशेष का उपयोग. – विद्युत उत्पादन उपयोगिताओं से संबंधित सभी कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ अनिवार्य रूप से फसल अवशेषों से बने गुटिका (पेलेट्स) या ब्रिकेटों के न्यूनतम पांच प्रतिशत मिश्रण का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।

3. पर्यावरणीय प्रतिकर. - नियम 2 में यथा उपबंधित फसल अवशेषों का उपयोग न करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) के अधीन गठित राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र और के निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग या उस आयोग द्वारा पर्याधिकृत कोई अधिकारी नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दर पर वार्षिक आधार पर ऐसे तापीय विद्युत संयंत्रों को पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित करेगा और उसकी वसूली करेगा:

वर्ष 2024-2025 के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर की दर:	
वार्षिक आधार पर उपयोग किए गए फसल अवशेष गुटिका (पेलेट्स) या ब्रिकेटों का प्रतिशत	पर्यावरणीय प्रतिकर की दर (*उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट रु.*)
पाँच प्रतिशत से कम या उसके बराबर किंतु चार प्रतिशत से अधिक	0.0
चार प्रतिशत से कम या उसके बराबर किंतु तीन प्रतिशत से अधिक	0.0
तीन प्रतिशत से कम या उसके बराबर किंतु दो प्रतिशत से अधिक	0.01
दो प्रतिशत से कम या उसके बराबर किंतु एक प्रतिशत से अधिक।	0.02
एक प्रतिशत से कम या उसके बराबर किंतु शून्य प्रतिशत से अधिक	0.03
वर्ष (2025-2026) से आगे के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर की दर	
वार्षिक आधार पर उपयोग किए गए फसल अवशेष गुटिका (पेलेट्स) या ब्रिकेट का प्रतिशत	पर्यावरणीय प्रतिकर की दर (*उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट रु.*)
पाँच प्रतिशत से कम किंतु चार प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर	0.01
चार प्रतिशत से कम किंतु तीन प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर	0.02
तीन प्रतिशत से कम किंतु दो प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर।	0.03
दो प्रतिशत से कम किंतु एक प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर	0.04
एक प्रतिशत से कम किंतु शून्य प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर	0.05

IndiaCode

4. कतिपय मामलों में इन नियमों का लागू होना – यथास्थिति, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग या राज्य विनियामक आयोग, नियम 2 के उपबंधों पर विचार करने के पश्चात् विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के , अधीन टैरिफ अवधारित करेगा।

5. शिथलीकरण की शक्ति. - वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग, मामला-दर-मामला के आधार पर, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से, तापीय विद्युत संयंत्र का ऐसे तापीय विद्युत संयंत्रों के नियंत्रण से परे परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई के समाधान के लिए नियम 2 और 3 के उपबंधों के अनुपालन से शिथलीकरण कर सकेगा है।

[फा. सं. क्यू-15014/16/2021-सीपीए (पार्ट-1)]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2023

G.S.R. 499(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the utilisation of crop-residue by the thermal power plants, namely:-

1. Short title, application and commencement. –

(1) These rules may be called the Environment (Utilisation of Crop residue by Thermal Power Plants) Rules, 2023.

(2) They shall apply to the National Capital Region and the Adjoining Areas as defined respectively in clauses (f) and (a) of sub-section (1) of section 2 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021(29 of 2021).

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Utilisation of crop residue. - All coal based thermal power plants of power generation utilities shall mandatorily use minimum five per cent blend of pellets or briquettes made of crop residue along with coal.

3. Environmental compensation.- For non-utilisation of crop residue as provided in rule 2, the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, constituted under the Commission for Air Quality Management of National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), or any officer authorised by that Commission, shall impose and collect the environmental compensation from such thermal power plants on annual basis at the rates specified in the table given below:

(1) Rate of environmental compensation for the year 2024-2025:	
Percentage of crop residue pellets or briquettes utilized on annual basis	Rate of environmental Compensation (*Rs. Per unit of electricity generated*)
Less than or equal to five per cent but more than four per cent	0.0
Less than or equal to four per cent but more than three per cent	0.0
Less than or equal to three per cent but more than two per cent	0.01
Less than or equal to two per cent but more than one per cent.	0.02
Less than or equal to one per cent but more than zero per cent	0.03
(2) Rate of environment compensation for the year (2025-2026) onwards	
Percentage of crop residue pellets or briquettes utilised on annual basis	Rate of environmental Compensation (*Rs. Per unit of electricity generated*)
Less than five per cent but more than or equal to four per cent	0.01
Less than four per cent but more than or equal to three per cent	0.02
Less than three per cent but more than or equal to two per cent.	0.03
Less than two per cent but more than or equal to one per cent	0.04
Less than one per cent but more than or equal to zero per cent	0.05

IndiaCode

4. Application of these rules in certain cases- The Central Electricity Regulatory Commission or the State Regulatory Commissions, as the case may be, shall determine tariff under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) after taking into consideration the provisions of rule 2.

5. Power to grant relaxation - The Commission for Air Quality Management may, on case to case basis, grant relaxation to thermal power plants, in consultation with the Central Electricity Authority and the Central Pollution Control Board, for addressing any difficulty arising out of circumstances beyond the control of such thermal power plants in its compliance of the provisions of rule 2 and 3 above.

[F. No. Q-15014/16/2021-CPA (part-1)]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.07.12 20:07:42 +05'30'